



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल

(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ: प्लेक्स/सर्किट/524

दिनांक: 19 अक्टूबर 2026

को

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य / सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के तहत शुल्क रियायतों की पहली किश्त के कार्यान्वयन के संबंध में।

संदर्भ: अधिसूचना संख्या 32/2026-सीमा शुल्क दिनांक 16 अक्टूबर 2026

हम आपको राजस्व विभाग (वित्त मंत्रालय) द्वारा जारी उपरोक्त अधिसूचना के बारे में सूचित करना चाहते हैं, जिसमें **भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते** के तहत शुल्क रियायतों की पहली किश्त के कार्यान्वयन के संबंध में जानकारी दी गई है, जिस पर 27 अप्रैल, 2026 को हस्ताक्षर किए गए थे।

केंद्र सरकार ने न्यूजीलैंड से भारत में आयातित निर्दिष्ट वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) के तहत सीमा शुल्क छूट अधिसूचना जारी की है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अधिमान्य मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) दरों (तालिका I) और कृषि अवसंरचना विकास उपकर [एआईडीसी दरें] तथा टैरिफ दर कोटा की समीक्षा के लिए विस्तृत अधिसूचना देखें:

https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20261019120637.pdf

छूट का दावा करने के लिए, आयातक को सीमा शुल्क अधिकारियों को यह संतुष्ट करना होगा कि व्यापार समझौते के तहत लागू मूल नियमों के अनुसार माल न्यूजीलैंड में उत्पन्न हुआ है।

यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2026 से प्रभावी होगी।

साभार

भारती परवे

निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकौन्सिल